संख्या-168/2015/3055/नौ-2015-64बजट/07

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक 27 मई, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-16 में "प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट" (पीएमयू) के संचालन/अधिष्ठाप
व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पीएमयू/21/361(3)/2015, दिनांक 29 अप्रैल, 20
के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट" (पीएमयू)** के संचा
हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि ₹ 100.00 लाख के सा
₹ 5.00 लाख (₹ पांच लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्
के अधीन श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत धनराशि एमओए के अनुबन्धों अधीन सक्षम स्तर (एसएलएनए/निदेशक, स्था
निकाय) द्वारा व्यय के भुगतान की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जो पी0एम0यू0 के गठन
सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उल्लिखित हैं।

(3) स्थानीय निकाय निदेशालय अर्थात् राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0)
भारत सरकार द्वारा पीएमयू के वित्तीयन हेतु निर्धारित मदों में स्वीकृत धनराशि व्यय
के पश्चात् प्रतिपूर्ति दावा भारत सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण
शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का कोई भी अंश आहरित कर किसी बैंक /पोस्ट आफिस में नहीं
जायेगा तथा आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कर व्यय किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर ही किया जायेगा, जिसके लिये
स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/
में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी
हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त
इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास
तथा वित्त विभाग को दे दी जायेगी।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के
आयोजनागत *लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-प्रोजेक्ट म
यूनिट (के.100/रा.0-के.)-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)* " के नामे डाला ज

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों
निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सि
संयुक्त सचि

संख्या-168 /2015/3055/नौ-5-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-,

1- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव (यू0डी0) एवं मिशन डायरेक्टर (जेएनएनयूआरएम), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, कार्यालय निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
8- प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, एसएलएनए/निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- सुपर यूजर, नगर विकास/ कम्प्यूटर सेल।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह),
संयुक्त सचिव।